सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 51वीं बैठक दिनाँक 06 दिसम्बर, 2022 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 51वीं बैठक दिनाँक 06 दिसम्बर, 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थीः–

1.	डा0 के0के0 सिंह, कुलपति	**अध्यक्ष**
2.	श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर	**सदस्य**
3.	श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री	**सदस्य**
4.	श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक	**सदस्य**
5.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
6.	डा0 अमरनाथ मिश्र, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
7.	डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
8.	डा0 ब्रजवीर सिंह, अपर निदेशक, पशुपालन, उ0प्र0, लखनऊ। (निदेशक पशुपालन, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
9.	श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियंत्रक	**सचिव**

सर्वप्रथम मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में कुलपति के पद पर नव नियुक्त डा0 के0के0 सिंह को बुके भेंट करते हुए स्वागत किया गया। तदोपरांत मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए मा0 सदस्यों से भी परिचय प्राप्त किया गया। इसके साथ ही मा0 कुलपति जी द्वारा नियुक्ति उपरांत उनके द्वारा विश्वविद्यालय में किये जा रहे

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

प्रारंभिक कार्यों के संदर्भ में मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया। जिसके अन्तर्गत अवगत कराया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में रिसर्च प्रोजैक्ट की स्थिति अच्छी अवस्था न होने के कारण वैज्ञानिकों को रिसर्च प्रोजैक्ट लाने हेतु निर्देशित किया गया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के क्लास रूमों में सी0सी0टी0वी0 लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कुल 5–6 कृषि विज्ञान केन्द्रों का दौरा किया जा चुका है। विश्वविद्यालय में फण्ड की उपलब्धता को बढ़ाने तथा शिक्षण, शोध एवं प्रसार से सम्बन्धित कार्यों पर निरन्तर समीक्षा के उद्देश्य से प्रतिमाह पहले बुधवार के दिन एक बैठक उनकी अध्यक्षता में निर्धारित की गयी है। विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ शुगरकेन को जुलाई–2022 के सेशन से प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों से अनुरोध किया गया कि मा0 सदस्य अपने अनुभव एवं विचार उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि क्षेत्र के किसानों से उनके खेत–खलिहानों से सीधे विश्वविद्यालय कैम्पस से ऑनलाईन मोड में जुड़कर उनकी विभिन्न समस्याओं का निस्तारण फील्ड स्तर पर ही किये जाने के प्रयास किये जायेगें। विश्वविद्यालय में कैम्पस प्लेसमेन्ट की स्थिति अच्छी न बताते हुए मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि विश्वविद्यालय में कैम्पस प्लेसमेन्ट बढ़ाने के लिए सशक्त प्रयास किये जायेगें।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त नियन्त्रक द्वारा विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ शुगरकेन की स्थापना के प्रयास हेतु श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टाक ब्रीडर, श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक एवं श्रीमती सुमन त्यागी का विशेष आभार व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 51.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 50वीं बैठक दिनाँक 02 मई, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 02 मई, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 51.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 50वीं बैठक दिनाँक 02 मई, 2022 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 02 मई, 2022 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गये:–

1. मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 02.05.2022 के प्रस्ताव संख्या–50.7 पर डा0 आरती भटेले, निलम्बित प्राध्यापक के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी समुचित कार्यवाही करने के संदर्भ निर्देशित किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

2. मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 02.05.2022 के प्रस्ताव संख्या–50.8 पर डा0 योगेश प्रसाद, प्राध्यापक के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। जिसके सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक एवं कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में डा0 योगेश प्रसाद को विश्वविद्यालय में ज्वाइन कराते हुए उनकी जांच हेतु पुनः एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति द्वारा जांच–आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 51.3 : डा0 लोकेश कुमार गंगवार, प्राध्यापक (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को जोड़े जाने के संबंध में।

डा0 लोकेश कुमार गंगवार, प्राध्यापक (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) कृषि महाविद्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.03.2005 से 10.09.2013 तक विषय वस्तु विशेषज्ञ/सहायक प्राध्यापक (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) के पद पर एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में दिनांक 11.09.2013 से 23.07.2018 तक सह प्राध्यापक, (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) के पद पर दी गयी सेवाओं को जोड़ने एवं सेवाओं की गणना पेंशन हेतु करने के संदर्भ में वित्त नियन्त्रक द्वारा विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि डा0 अमरनाथ मिश्रा, संयुक्त निदेशक कृषि द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि सेवा जोड़ने से सम्बन्धित प्रस्ताव सम्बन्धितों द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत किये जा रहे है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे प्रकरणों के संदर्भ में एक आदेश–पत्र जारी करें, कि सेवा जोड़ने से सम्बन्धित कार्मिक विश्वविद्यालय में सेवा ग्रहण करने के उपरांत ही अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि डा0 लोकेश कुमार गंगवार की पूर्व में की गयी सेवाओं से

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा0 के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

सम्बन्धित प्रपत्रों/अभिलेखों की जांच करते हुए प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या: 51.4— डा0 रश्मि, प्राध्यापक (मौलिक विज्ञान विभाग) द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को जोड़े जाने के संबंध में।

डा0 रश्मि प्राध्यापक (मौलिक विज्ञान) की भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून, उत्तराखण्ड में वैज्ञानिक—ई दिनांक 07.04.2003 से 28.05.2019 तक के पद पर की गयी सेवा को पेंशन आगणन हेतु अर्ह सेवा के निमित आगणित किये जाने हेतु सेवाऐं अन्य प्रदेश/केन्द्रीय होने के कारण उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किये जाने के लिए माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या: 51.5— डा0 वीर पाल सिंह, सह प्राध्यापक (पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग), पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को जोड़े जाने के संबंध में।

डा0 वीर पाल सिंह, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विष्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (दुबासु) मथुरा में दिनांक 01 अप्रैल 2009 से 16 मई, 2018 तक सहायक आचार्य (पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग) के पद पर दी गयी सेवाओं एवं 26.02.1999 से 31.03.2009 तक

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ—250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश की पूर्व सेवाओं को जोड़ने एवं सेवाओं की गणना पेंशन हेतु डा0 वीर पाल सिंह की मूल पत्रावली माननीय कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों के समक्ष सम्बन्धित विभाग द्वारा मंगायी गयी।

जिसपर माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा डा0 वीर पाल सिंह द्वारा उपरोक्तानुसार पूर्व की सेवाओं को जोड़ने एवं सेवाओं की गणना पेंशन हेतु करने के लिए सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 51.6– विद्वत परिषद की 85वीं बैठक दिनांक 21.11.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 85वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2022 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 85वीं बैठक दिनांक 21.11.2022 का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही मा0 सदस्यों द्वारा निम्न अभिमत व्यक्त किये गयेः–

1. मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा विद्वत परिषद की 83वीं बैठक में विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में छात्र–छात्राओं को प्रायोजित पदक प्रदान करने के सम्बन्ध में सीड मनी की धनराशि रू0 100000/– को कम आंकते हुए निर्णय लिया गया कि इसकी सीमा न्यूनतम रू0 200000/– होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रथम वर्ष में सम्बन्धित से पुरस्कार इत्यादि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय हेतु रू0 5000/– के स्थान पर न्यूनतम रू0 10000/– करने का

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा0 के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

निर्णय लेते हुए इन धनराशियों का पुनरीक्षण प्रत्येक 03 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से करने का भी निर्णय लिया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

2. मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा विद्वत परिषद 84वीं बैठक दिनांक 21.11.2022 के संकल्प संख्या–15 पर उल्लेखित पशुचिकित्सा महाविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों की शैक्षिक अर्हता, स्कोर कार्ड, घोषणा–पत्र एवं विज्ञापन आदि के सम्बन्ध में प्राध्यापक पदों की अर्हता में से पी0एच0डी0 गाईडिड की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ से निर्देश प्राप्त करने हेतु कहा गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

3. विद्वत परिषद 84वीं बैठक दिनांक 21.11.2022 के संकल्प संख्या–17 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2022 को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में स्नातक/स्नातकोत्तर/पी0एच0डी0 स्तर पर उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधि प्रदान करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि 15वें दीक्षांत समारोह में उपाधिप्राप्तकर्ता छात्र/छात्राओं के टेबुलेशन की जांच सतर्कतापूर्वक की जाये। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस कार्य हेतु कुलसचिव कार्यालय में पूरी टीम कार्य कर रही है।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

प्रस्ताव संख्याः 51.7– डा0 फग्गन सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय को आवास किराया में कोरोना महामारी– 2019 के दृष्टिगत शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के सचिव, आवास आवंटन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में वित्त नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि डा0 फग्गन सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्ति उपरांत कुल 29 माह विश्वविद्यालय के सरकारी आवास (टाईप–5) में रहे, जिसमें उनके द्वारा किराये के रूप में रू0 1,40,400.00 मात्र की धनराशि विश्वविद्यालय के लेखा अनुभाग में जमा करायी गयी। जिसपर विश्वविद्यालय सचिव, आवास आवंटन समिति द्वारा विश्वविद्यालय के हाऊस एलोटमेन्ट नियम (एच0आर0ए0–15) के अन्तर्गत गणना करते हुए उपर्युक्त अवधि का कुल आवास किराया रू0 13,03,200.00 (रू0 तेरह लाख तीन हजार दो सौ मात्र) दर्शाते हुए उनके द्वारा जमा करायी गयी धनराशि के बाद रू0 11,61,800.00 (रू0 ग्यारह लाख इकसठ हजार आठ सौ मात्र) बताया गया है।

इस सम्बन्ध में मा0 सदस्यों सर्वसम्मत्ति से अभिमत व्यक्त किया गया कि कोविड–19 की महामारी के दृष्टिगत डा0 फग्गन सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को आवास किराये में शिथिलता प्रदान की जाये। इस पर प्रबन्ध समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि डा0 फग्गन सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को कोविड–19 की महामारी के दृष्टिगत आवास किराये में शिथिलता प्रदान करते हुए नियमानुसार कुल 29 माह में से 06 माह की छूट प्रदान करते हुए किसी भी प्रकार की पैनाल्टी न लेते हुए उनके सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान पर अनुमन्य मकान किराये भत्ते को 23 माह से गुणा करके जमा धनराशि

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

को घटाकर शेष धनराशि विश्वविद्यालय के लेखा अनुभाग में जमा कराते हुए रसीद निर्गत की जायेगी।

उपर्युक्त पर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक/सचिव, आवास आवंटन समिति)

प्रस्ताव संख्याः 51.8– **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न वादों का पक्ष मा0 न्यायालय के समक्ष रखने हेतु श्री शुभ्रांशु शेखर, अधिवक्ता को नामित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, विधिक समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न वादों का पक्ष मा0 न्यायालय के समक्ष रखने हेतु श्री शुभ्रांशु शेखर, अधिवक्ता को नामित करने के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपर्युक्त अधिवक्ता को विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवाद देय शुल्क हेतु पूर्व में जारी आदेश संख्या सवप/का0अनु0/2021/8995 दिनांक 20.02.2021 के अनुसार होगा।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/अध्यक्ष विधिक समिति/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गयेः–

1. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक एवं श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टाक ब्रीडर एवं श्रीमती सुषमा त्यागी

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

द्वारा विश्वविद्यालय के नवनियुक्त मा0 कुलपति जी को धन्यवाद दिया गया।

2. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक एवं श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टाक ब्रीडर द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा0 आर0के0 मित्तल द्वारा अपने कार्यकाल के अन्तिम दिवसों में की नियुक्ति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनके द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों पर एस0एम0एस0 के पदों पर की गयी भर्ती की नियुक्ति के लिफाफों को मा0 प्रबन्ध परिषद के सम्मुख खोले जाने चाहिए थे। इस सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के एस0एम0एस0 के पद गैर शैक्षणिक स्तर के होने के कारणवश इनके लिफाफे मा0 प्रबन्ध परिषद के सम्मुख नही खोले गये। इसी प्रकरण पर मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि इससे सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 सदस्यों के सम्मुख मा0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

3. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के गैर शैक्षणिक पदों पर शीघ्र भर्ती हेतु कहा गया एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय के आयोग में चले गये गैर शैक्षणिक पदों को आयोग से वापस लाते हुए उनपर विश्वविद्यालय स्तर पर भर्ती करने हेतु एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों पर रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती हेतु भी कहा गया। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 प्रबन्ध

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा0 के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

परिषद के सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जायेगें।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

4. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों को CAS के लाभ से अभी प्राप्त नही हुआ है। इसपर मा0 कुलपति द्वारा शीघ्र कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

5. डा0 अमरनाथ मिश्रा, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा रिक्तियों के विज्ञापन हेतु एक केलेण्डर तैयार कर लिया जाये, जिससे प्रतिवर्ष निर्धारित समय पर रिक्तियों को भरने हेतु विज्ञापन विज्ञापित कराया जा सके।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

6. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक एवं श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टॉक ब्रीडर द्वारा विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के फार्म पर में गन्ने के बीज की पैदावार हेतु विचार प्रस्तुत किया गया। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को समुचित कार्यवाही हेतु आवश्वस्त किया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक शोध/निदेशक प्रसार)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

7. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टॉक ब्रीडर द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत गन्ने के साथ–साथ पापुलर के पेड़ों की पैदावार किया जाना काफी उपयुक्त होगा। साथ श्री त्यागी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके गृह जनपद सहारनपुर के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों द्वारा बड़े स्तर पर पोपुलर के पेड़ों की पैदावार की जा रही है। जिसपर वित्त नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 कुलपति जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षेत्र के किसानों को पोपुलर के अतिरिक्त शीशम, सागोन, आवंला, औषधिवर्धक वृक्षों को लगाने हेतु जागरूक किया जा रहा है।

(कार्यवाहीः निदेशक शोध/निदेशक प्रसार)

8. डा0 अमरनाथ मिश्रा, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों को उनके क्षेत्र के अनुसार केटैगरी में बांटते हुए फसलों की पैदावार हेतु स्पेशिलाईज्ड किया जाये। इस पर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कुल 06 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न फसलों पर कार्य किये जाने के लिए स्पेशिलाईज्ड बनाये जाने के प्रयास किये जा रहे है। इसके मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्राप्त किये जा रहे Revenue पर के0वी0के0 के क्षेत्रफल के आधार भी Monitoring की जा रही है।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रसार)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

9. डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि क्षेत्र के सरकारी महाविद्यालय, जिनमें बॉटनी इत्यादि की पढ़ाई करायी जा रही है, उनमें रिसर्च के उपयुक्त साधन उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में इन छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च/अन्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। इस पर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि अगर क्षेत्र के महाविद्यालय इस पर रूचि लेते है तो विश्वविद्यालय द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

10. मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि कॉलेजों/संस्थानों को Affiliation दिये जाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए। जिस पर मा0 कुलपति जी द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए इस पर प्रयास करने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा, ऐसा मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

11. डा0 अमरनाथ मिश्रा, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि कृषि विभाग द्वारा ए0पी0सी0 की गौष्ठियां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है जहां पर उक्त गौष्ठियां आयोजित कराने हेतु काफी अच्छी सुविधायें प्राप्त हो जाती है। जबकि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ ए0पी0सी0 बैठक के स्तर का कोई हॉल/व्यवस्था उपलब्ध नही है। इस पर मा0 कुलपति जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

विश्वविद्यालय के गांधी हॉल को ऐसे कार्यक्रमों को कराने हेतु तैयार किया जायेगा।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक/कुलसचिव/ प्रभारी अधिकारी निर्माण)

12. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियन्त्रक द्वारा दिनांक 16.12.2022 को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु किराये के आधार पर लिये जा रहे साउण्ड सिस्टमों पर हो रहे व्यय के दृष्टिगत अभिमत व्यक्त किया गया कि ऐसे साउण्ड सिस्टमों एवं सहयोगी उपकरणों/सामग्री को विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किया जाना उपयुक्त होगा। चूंकि विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह के साथ–साथ किसान मेले के आयोजन, विभिन्न सेमिनार इत्यादि का आयोजन होता रहता है। जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों के साथ–साथ मा0 कुलपति जी द्वारा भी अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक/कुलसचिव/ प्रभारी अधिकारी निर्माण/प्रभारी अधिकारी, आई0टी0)

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

7/12/22

(लक्ष्मी मिश्रा)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

(डा0 के0के0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ